

दिनांक 31.12.2018 को धारित चल/अचल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - श्री पी.एस. श्रीवास्तव
2. वर्तमान धारित पद - निज सहायक
3. प्रथम नियुक्ति का पद एवं दिनांक - शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन
4. प्रथम नियुक्ति के समय कुल वेतन - 280-480
5. वर्तमान पद का कुल वेतन - वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल आय लगभग - 10,00,000/-

उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय) प्लॉट एवं कृषि भूमि	सम्पत्ति अर्जित करने का दिनांक मूल्य व उसका उस समय मूल्य	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतझाइये कि वह किसके नाम पर धारित है ओर उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेंट या किसी प्रकार से अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल तहसील हुजूर		कृषि आवासीय भूमि 11326 वर्गफीट खसरा क्र. 36, ग्राम मेंडोरी, पटवारी हल्का नं. 49/33, राजस्व निरीक्षक मण्डल-4, भोपाल	31.03.2011 को रूपये 8,00,000/- मूल्य पर	रु. 15,00,000/-	1. श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा (ससुर) 2. श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव (पत्नी)	क्रय किया गया। दिनांक 31.03.2011 श्रीमती विजया अनुरागी बी-104, शास्त्री नगर, भोपाल
भोपाल तहसील हुजूर		आवासीय प्लॉट 1500 वर्गफीट, रोहित गृह निर्माण सह. संस्था, फेस-2, प्लॉट नंबर 345, बावड़िया कला, भोपाल	7.3.2015 मूल्य रु. 10,00,000/-	रु. 16,00,000/-	स्वयं एवं पत्नी श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव के नाम	क्रय किया गया। श्री राजेश निवासी जी-74/7, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल
भोपाल तहसील हुजूर	फ्लेट 800 वर्गफीट में निर्मित	आवासीय फ्लेट	दि. 30.12.13 को रु. 16,50,000/- मूल्य पर	निर्माणाधीन (फ्लेट का आधिपत्य 30 जून, 2016 तक देने का अनुबंध किया है)	स्वयं एवं पत्नी श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव के नाम	ओपल ओरिस परिसर स्थित ब्लॉक नंबर 4, फ्लेट नंबर 101, (आर.एस.आर. हाउसिंग कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. द्वारा ई-8, एक्सटेंशन ग्राम सलैया, मिसरोद आकृति इको सिटी के पीछे से क्रय का अनुबंध

यदि विरासत में नहीं है तो शासन को सूचना देना/ अनुमति प्राप्त करने का दिनांक	यदि विरासत या भेंट नहीं है तो उनके लिये लगाए गए वित्तीय साधनों का पूर्ण विवरण जिनसे नगद ऋण या भेंट ली है तो उसका पूरा पता दिया जावे।	यदि संपत्ति में कोई सुधार/ विस्तार किया गया है तो उसकी लागत एवं वित्तीय साधनों का विवरण	क्या सुधार/विस्तार के लिए शासन को नियमानुसार सूचित किया गया या अनुमति ली गई।	संपत्ति से वार्षिक आय	यदि संपत्ति को बेचा या हस्तांतरण किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
शासन को सूचना दिनांक 7.9.2011 को सचिव, म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दी गई है।	श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा द्वारा रु. 5.00 लाख की राशि ऋण लेकर एव शेष 3.00 लाख की राशि श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव द्वारा अपनी बचत राशि से क्रय की गई।				
सूचना दि. 7.2.2013 को सचिव, म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की दी गई है।	रु. 6.00 लाख की राशि पूर्व में मेरे द्वारा दिनांक 30.06.2010 को बेचे गये आवासीय प्लॉट से प्राप्त राशि तथा शेष रु. 4.00 लाख की व्यवस्था अपने आय की बचत से की गई है।				
31.1.14 आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. को सूचना दी गई।	राशि की व्यवस्था बैंक से ऋण प्राप्त कर तथा 10.00 लाख रुपये की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम से भवन ऋण स्वीकृत कराई गई है जो बिल्डर के शर्तों के अनुरूप भुगतान की जावेगी।				